न्यायालयः सिविल जज (सी०डि०) न्यायालय संख्या-22, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-500/2022

विभान्शु गुप्ता बनाम पदमा गुप्ता व अन्य

12.08.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र क- 18 सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र क-18

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क-18 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी अपना उपरोक्त वाद प्रतिवादीजन के विरूद्ध नहीं चलाना चाहता है तथा वादी अपना वाद बिना किसी शर्त के वापस लेना चाहता है। प्रार्थना की गयी है कि वादी का वाद बिना किसी शर्त वापस कर दिया जाए।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया था। वादी उक्त वाद प्रतिवादीजन के विरूद्ध नहीं चलाना चाहता है। चूंकि वादी वाद का मालिक होता है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के बायी ओर अंकित किया गया है कि हर्जे हेतु विरोध किया जाता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र क-18 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र क-18 मु०-1000/- रूपये हर्जे पर स्वीकार कर दावा निस्तारित किया जाता है।

तद्नुसार बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।

(रूचि तिवारी)
सिविल जज (सी०डि०)
न्यायालय संख्या-20, बाराबंकी
Jo Code-UP2075